सिर्फ एडल्ट ही देख सकेंगे आइटम सांग - केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

Bhaskar News / विजय सिंह \'कौशिक\' । Feb 03, 2013, 15:10PM IST

दिल्ली बलात्कर कांड के बाद आलोचना के शिकार केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने अब आइटम सांग को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। सेंसर बोर्ड की कोशिश होगी कि अब मुन्नी बदनाम हुई व शीला की जवानी जैसे आईटम सांग के लिए केवल ए (वयस्कों के लिए) प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि इस तरह के गाने टीवी चैनलों पर प्रसारित नहीं किए जा सकें।

हाल में राजनेताओं सहित तमाम महिला संगठनों की तरफ से केंद्रीय फिल्म सेसर बोर्ड को बढ़ती अश्लीलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सूत्रों के अनुसार सेंसर बोर्ड ने इस बात को गंभीरता से लिया है।

बोर्ड ने अपने सदस्यों को निर्देश दिया है कि द्विअर्थी शब्दों वाले आइटम गानों को यूए प्रमाण पत्र न जारी किया जाए। दरअसल टीवी पर प्रसारण के लिए जरूरी है कि फिल्म अथवा गाने को यू अथवा यूए प्रमाण पत्र मिले। यदि सेंसर बोर्ड ए प्रमाण पत्र जारी करता है तो ऐसे गाने टीवी पर प्रसारित नहीं किए जा सकते।

सेंसर बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार अब फिल्मों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के दृश्य भी नहीं दिखाए जा सकेंगे। सेंसर बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में रिलीज सलमान खान की दबंग-2 के आईटम सांग फेविकोल को लेकर भी सेंसर बोर्ड को बैकफुट पर जाना पड़ा था। इस गाने में द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

इसके बावजूद इसे यूए प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसकी वजह से यह आईटम सांग टीवी चैनलों पर छाया रहा। इन दिनों कई फिल्मों में आईटम सांग ही फिल्मों की सफलता की गारंटी बनते जा रहे हैं।

फिल्म निर्माता फिल्म के प्रमोशन के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ऐसे गानों की पहुंच घर-घर तक हो जाती है। इस बारे में फिल्म सेंसरबोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पकंजा ठाकुर ने कहा कि हमने तय किया है कि आईटम सांग के लिए प्रमाण पत्र जारी करते समय विशेष सावधानी बरतेंगे।

हमारी कोशिश होगी कि द्विअर्थी शब्दों वाले आईटम सांग टीवी पर प्रसारित न हो सके क्योंकि टेलिविजन की पहुंच पूरे समाज तक होती है।उन्होंने बताया कि मैंने बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था कि द्विअर्थी आईटम सांग को केवल ए प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ठाकुर ने कहा कि इस तरह की सलाह हमें पहले से मिल रही थी। हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से हमें इसे तत्काल लागू करने को लेकर गंभीरता से सोचना पड़ा।

http://www.bhaskar.com/article/MH-MUM-new-twist-in-11-year-old-case-salman-khan-will-go-to-high-court-4167542-PHO.html?seq=4&HF-10=